<u>राज्य सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1104

27 दिसंबर, 2017 को उत्तर के लिए

मंत्रालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक सुधार

1104. डॉ॰ विनय पी॰ सहस्त्रबुद्धेः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के समग्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जून 2014 के पश्चात् कोई नई और विशिष्ट नीतिगत पहल की है, यदि हां, तो इन पहलों का ब्यौरा क्या है और इन पहलों का समग्र प्रभाव क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने विशेषकर मंत्रालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, मई 2014 के पश्चात् मंत्रालय के कार्यकरण में किन्हीं प्रमुख प्रशासनिक सुधारों, की शुरुआत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके प्रभाव क्या रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): सरकार ने वर्ष 2014 के बाद निम्नलिखित नीतिगत पहल की है और प्रशासनिक कदम उठाए हैं:-

(i) दिनांक 08 मई 2017 को राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 (एनएसपी 2017) की अधिसूचना जारी की है।

(ii) दिनांक 08 मई 2017 को घरेलू निर्मित लोहा और इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) की नीति की अधिसूचना जारी की है।

(iii) सरकार ने अनुचित व्यापार की चुनौती का सामना करने के लिए पर्याप्त व्यापारिक उपाय किए हैं जैसे कि एंटी डंपिंग शुल्क, सेफगार्ड शुल्क इत्यादि लगाना।

(iv) वर्ष 2016 में न्यूनतम आयात मूल्य को अस्थायी रूप से लागू किया है।

(v) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को अधिसूचित किया है जो सभी इस्पात उत्पादों और आयातों के संबंध में बीआईएस मानकों के उपयोग को अनिवार्य बनाता है।

उपरोक्त नीतिगत उपायों के परिणामस्वरूप देश में इस्पात के सस्ते उत्पादों की डंपिंग को रोका गया था और कीमत वसूली में सुधार हुआ था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2016-17 के दौरान पूर्ण फिनिश्ड इस्पात के आयात में पूर्व वर्ष 2015-16 की तुलना में 38.3% की गिरावट आई है और वर्ष 2016-17 में पूर्ण फिनिश्ड इस्पात के निर्यात में विगत वर्ष की तुलना में 102% की वृद्धि हुई है।

****